नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
(जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण शाखा)

पत्रांक ..../क0, संचिका संख्या .... दिनांक ..../2026

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त,
नालन्दा।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः— जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, दीपनगर बिहारशरीफ, नालन्दा में रिक्त बल के विरूद्ध नामांकन की सूचना प्रकाशन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, दीपनगर बिहारशरीफ, नालन्दा** में रिक्त बल के विरूद्ध नामांकन की सूचना चार प्रति सी0डी0 सहित पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि राज्यस्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में संबंधित सूचना प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः— यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/-
उप विकास आयुक्त,
नालन्दा।

ज्ञापांक 248 /क0, संचिका सं0 .... दिनांक 18/05/26

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, नालन्दा को सूचना प्रारूप की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (NIC)नालन्दा को सूचना प्रारूप की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप विकास आयुक्त,
नालन्दा। 18/5/26

नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
(जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय)
अल्पकालीन नामांकन सूचना

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अति पिछड़ा वर्ग समुदाय के छात्रों के लिए नालन्दा जिलान्तर्गत संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, दीपनगर, बिहारशरीफ, नालन्दा में शैक्षणिक सत्र 2026–27 में नामांकन के लिए रिक्त स्थानों की विवरणी निम्नवत् है:–

क्र0	छात्रावास का नाम	कोटि	स्वीकृत बल	नमांकित छात्रों की सं0	रिक्त छात्रों की सं0	अभ्युक्ति
1	जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, दीपनगर, बिहारशरीफ, नालन्दा	अति पिछड़ा वर्ग (EBC)	100	83	17	अति पिछड़ा वर्गों में दिव्यांग छात्रों के लिए 5 प्रतिशत सीट आरक्षित।

नामांकन हेतु आवेदन पत्र सूचना प्रकाशन की तिथि से 30/6/2026 तक विभागीय वेबसाईट https://bcebconline.bihar.gov.in/cay/Default.aspx पर ऑनलाईन समर्पित किया जा सकता है।

छात्रावास में नामांकन की शर्तें :–

01 आवेदक पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का छात्र हो। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र का आवेदन नहीं प्राप्त होने पर पिछड़ा वर्ग के छात्रों का चयन होगा।
02 आवेदक बिहार राज्य का स्थाई निवासी हो।
03 आवेदक नालन्दा जिला में स्थित किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त शिक्षणं संस्थान में नामांकित हों।
04 आवेदक मैट्रिक पास होना चाहिए।
05 अर्हता प्राप्त आवेदकों में उच्च प्राप्तांक वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।
06 क्रमानुसार इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अन्य छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।
07 5 प्रतिशत सीट दिव्यांग छात्रों के लिए आरक्षित है।

छात्रों को मिलने वाली निःशुल्क सुविधाएँ :–

01 छात्रों के लिए आवास की सुविधा।
02 सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी एवं रसोईयाँ।
03 पंखा, बल्व, साइलेंट जनरेटर की सुविधा, बिजली की सुविधा, सी.सी.टी.वी. एवं **Wifi.**
04 भौतिक लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रतियोगी पुस्तकें, मासिक पत्रिकाएँ एवं दैनिक समाचार पत्र आदि।
05 खेलकूद सामग्री।
06 शुद्ध पेय जल की सुविधा।
07 प्रति माह 15 किलोग्राम खाद्यान्न (09 कि0ग्रा0 चावल एवं 06 कि0ग्रा0 गेहूँ)।
08 प्रति छात्र प्रति माह 2000 (दो हजार) रूपये का छात्रावास अनुदान का लाभ।

आवेदन की प्रक्रिया:–

01 आवेदन केवल ऑनलाईन माध्यम **https://bcebconline.bihar.gov.in/cay/Default.aspx** से ही ली जायेगी।
02 आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण–पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर संलग्न करना आवश्यक होगा।
03 आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो–02 प्रति में।
04 आवेदक का वैद्य जाति, आय एवं निवास प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
05 नालन्दा जिला में स्थित शिक्षण संस्थानों में नामांकन से संबंधित कागज।
06 आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित की छायाप्रति।
07 विगत परीक्षा के अंकपत्र की छायाप्रति।
08 बैंक पासबुक की छायाप्रति (खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित)
09 छात्रावास में अनुशासन पालन संबंधी शपथ पत्र

नोटः–त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आवेदन के लिए नामांकन पर विचार नहीं किया जायेगा।

उप विकास आयुक्त
नालन्दा। 18/5/26